

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(बजट अनुभाग)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या: 164/प्र0अ0/बजट/बी-1/आवंटन/कैम्प

दिनांक: 02 जुलाई, 2024

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या-File No. IRR 2-1/2023-11-2-Irrigation and Minor Irrigation Department (Computer No. 53856)/I/221203/2024, दिनांक 01.07.2024 द्वारा अनुदान संख्या-20 के पूंजीलेखा मद के मुख्य लेखाशीर्षक 4700 में राज्य सैक्टर से पोषित नलकूप एवं नहर निर्माण मद के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु शासन द्वारा निर्माणाधीन योजनाओं पर कुल ₹ 473.91 लाख (₹ चार करोड़ तिहत्तर लाख इक्यानबे हजार मात्र) का आवंटन प्रमुख अभियन्ता के निर्वतन पर रखते हुये किया गया है।

अतः उक्त आवंटित धनराशि ₹ 473.91 लाख का आवंटन मुख्य अभियन्तावार/खण्डवार/योजनावार/मदवार निम्नानुसार किया जाता है :-

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	मद का विस्तृत विवरण/कार्यालय का नाम/योजना का नाम	आवंटित धनराशि
क	20/4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 02-नलकूप, नहर एवं लघुडाल नहर निर्माण, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 02-राज्य पोषित नलकूप एवं नहर निर्माण, 00-53-वृहद निर्माण (4700-02-001-02-00-53)	
	मुख्य अभियन्ता स्तर-11 (यांत्रिक) देहरादून	
	नलकूप खण्ड, देहरादून	
	जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर के ग्राम ढकरानी में 01 संख्या नलकूप निर्माण की योजना।	50.00
	जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत विकासखण्ड सहसपुर के ग्राम छरबा वार्ड नं0 06 में 01 संख्या नलकूप निर्माण की योजना।	10.00
	योग नलकूप खण्ड, देहरादून	60.00
	नलकूप खण्ड, रुड़की	
1	जनपद हरिद्वार के विकास खण्ड भगवानपुर में राज्य सैक्टर मद के अन्तर्गत 02 नं0 असफल राजकीय नलकूपों के पुनः निर्माण की योजना।	40.00
	योग नलकूप खण्ड, रुड़की	40.00
	नलकूप खण्ड, हरिद्वार	
	जनपद हरिद्वार के विकास खण्ड बहादुराबाद में 01 सं0 राजकीय नलकूपों के निर्माण की योजना।	45.00
	योग नलकूप खण्ड, हरिद्वार	45.00
	लघुडाल खण्ड, श्रीनगर	
1	जनपद पौड़ी में विकासखण्ड यमकेश्वर के ग्राम दयाकटल में लिफ्ट सिंचाई योजना के निर्माण की योजना।	30.00
	योग लघुडाल खण्ड, श्रीनगर	30.00
	लघुडाल खण्ड, अल्मोड़ा	
1	जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड स्याल्दे में स्प्रिंकलर आधारित पारथोला लिफ्ट सिंचाई योजना के निर्माण की योजना। (मा0 मु0मं0घो0सं0-1666/2021)	85.00
2	जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड स्याल्दे में स्प्रिंकलर आधारित 01 सं0 तामाढ़ौन लिफ्ट सिंचाई योजना के निर्माण की योजना। (मा0 मु0मं0घो0सं0-32/2022)	56.00
	योग लघुडाल खण्ड, अल्मोड़ा	141.00
	योग मुख्य अभियन्ता स्तर-11 (यांत्रिक) देहरादून	316.00
	मुख्य अभियन्ता स्तर-1, देहरादून	
	सिंचाई खण्ड, कालसी	40.00
1	जनपद देहरादून के विकासखण्ड चकराता के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जस्टा के किमोटा खण्ड से	40.00

क्र. स.	मद का विस्तृत विवरण/कार्यालय का नाम/योजना का नाम	आवंटित धनराशि
	मुख्य अभियन्ता स्तर- II, श्रीनगर	
	सिंचाई खण्ड, दुगड़डा	
1	जनपद पौड़ी के विकास खण्ड दुगड़डा के अन्तर्गत कोटद्वार स्थित दांयी खो नहर की रीच कि०मी० 0.450 से कि०मी० 0.850 के मध्य नहर के सुदृढीकरण कार्य की योजना।	1.64
2	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड दुगड़डा में कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र में सिंचाई गूलों की सफाई मरम्मत व नई गूलों के निर्माण की योजना (मा०मु०मं०घो०सं० 1298/2021)।	40.00
	योग सिंचाई खण्ड, दुगड़डा	41.64
	योग मुख्य अभियन्ता स्तर- II, श्रीनगर	41.64
	मुख्य अभियन्ता स्तर- II, हल्द्वानी	
	सिंचाई खण्ड, नैनीताल	
1	जनपद नैनीताल के विकास खण्ड कोटाबाग में 5.296 कि०मी० लम्बी धमोला नहर एवं हेड के जीर्णोद्धार की योजना।	11.27
	योग सिंचाई खण्ड, नैनीताल	11.27
	सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी	
1	जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी में अतिवृष्टि में क्षतिग्रस्त गौलापार नहर के पुननिर्माण कार्य योजना (मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं० 190/2023)	50.00
	योग सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी	50.00
	योग मुख्य अभियन्ता स्तर- II, हल्द्वानी	50.00
	मुख्य अभियन्ता स्तर- II, अल्मोड़ा	
	सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़	
1	जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड मूनाकोट में एस०सी०पी० योजना के अन्तर्गत क्वीतड नहर (0.00-8.800 कि०मी०) के जीर्णोद्धार की योजना।	15.00
	योग सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़	15.00
	योग मुख्य अभियन्ता स्तर- II, अल्मोड़ा	15.00
	कुल योग	473.91

(₹ चार करोड़ तिहत्तर लाख इक्यानवे हजार मात्र)

उपरोक्त आवंटित बजट का उपभोग शासनादेश संख्या-File No. IRR 2-1/2023-11-2-Irrigation and Minor Irrigation Department (Computer No. 53856)/I/221203/2024, दिनांक 01.07.2024 उल्लिखित निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत किया जायेगा :-

1. उक्तानुसार अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथा संशोधित) तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाये।
2. धनराशि आवंटित करने से पहले प्रत्येक कार्य हेतु पूर्व में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उसकी भौतिक प्रगति का सत्यापन सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा किया जायेगा। कार्य मानकानुसार पाये जाने व भौतिक प्रगति उचित पाये जाने के उपरान्त ही धनावंटन किया जाय।
3. अवमुक्त की गई धनराशि का पूर्ण उपयोग विलम्बतम दिनांक 31.03.2025 तक कर लिया जाय, यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवषेश रहती है तो उसे नियमानुसार शासन को समर्पित किया जायेगा।
4. अवमुक्त की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में उक्त योजनाओं हेतु कोई धनराशि तो अवमुक्त नहीं की गई है, अर्थात् दोहराव की स्थिति उत्पन्न न हो। यदि ऐसी कोई अनियमितता पायी जाती है तो इस हेतु सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
5. निर्माणाधीन योजनाओं हेतु पूर्व अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 31, मार्च, 2024 तक का वित्तीय व भौतिक प्रगति फोटोग्राफ सहित आवश्यक रूप से 15 जुलाई, 2024 तक उपलब्ध कराया जाय, उक्त विवरण उपलब्ध न होने की दशा में सम्बन्धित कार्मिकों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये कार्यवाही की जायेगी।